

वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखे 2019-20 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

ANNUAL REPORT
AND
AUDITED ACCOUNTS
2019-20

National Financial Reporting Authority

Government of India

7th – 8th Floor, Hindustan Times House 18-20 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi -110001 https://nfra.gov.in

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए)

वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखे 2019-20

National Financial Reporting Authority 7th- 8th Floor, Hindustan Times Building, K.G. Marg, New Delhi -110001.

सूची

क्रम	अध्याय	
संख्या		संख्या
₹.	अध्याय १ – प्रस्तावना	3
₹.	अध्याय २ – राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन	ጸ-ዓ
3.	अध्याय ३ – राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षा गुणवता समीक्षा प्रक्रिया	६ - ७
٧.	अध्याय ४ - वितीय वर्ष २०१७-१८ के लिए डेलॉयट हास्किंग तथा सेल्स एलएलपी द्वारा की गई आईएलएंडएफएस वितीय सेवाएं लिमिटेड की सांविधिक लेखापरीक्षा के बारे में एनएफआरए की लेखापरीक्षा गुणवता समीक्षा रिपोर्ट का कार्यकारी सार	∠- १०
ુ	अध्याय ७ - एनएफआरए में शिकायत निवारण की प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश	११-१५
ξ.	अध्याय ६ – एनएफआरए कार्मिकों का प्रशिक्षण	१६-१७
७ .	अध्याय ७ – प्राधिकरण की बैठकें	१८-१९
۷.	अध्याय ८ - किए गए प्रमुख कार्यकलापों का ब्यौरा	२०-२२
٩.	अध्याय ९ - वर्ष २०१९-२० के लिए एनएफआरए बजट आवंटन और व्यय	23

अध्याय १

प्रस्तावना

- 1.1 एनएफआरए का गठन कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३२ के अनुसार ०१.१०.२०१८ को किया गया है।
- 1.2 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), नई दिल्ली एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३२ के तहत की गई है। एनएफआरए की स्थापना एकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग के उच्च गुणवत्ता मानकों को स्थापित करते हुए और कंपनियों और कारपोरेट निकायों द्वारा किए गए एकाउंटेंसी संबंधी कार्यों के प्रभावी ओवरसाइट का प्रयोग करते हुए तथा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों की ऑडिटिंग करते हुए लोकहित एवं निवेशकों, क्रेडिटरों तथा कंपनियों अथवा कारपोरेट निकायों से जुड़ें अन्य व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए की गई थी। अधिक जानकारी वेबसाइट nfra.gov.in से जानी जा सकती है।
- 1.3 एनएफआरए के गठन की आवश्यकता लेखांकन में घोटालों के आलोक में, स्वतंत्र नियामकों की स्थापना के लिए लेखापरीक्षा मानकों के प्रवर्तन और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा इसके द्वारा कंपनियों के वित्तीय प्रकटीकरण में निवेशक और सार्वजनिक विश्वास बढ़ाने के लिए विश्व में विभिन्न न्यायाधिकारों की आवश्यकता के कारण की गई है।
- 1.4 एनएफआरए से संबंधित कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए एनएफआरए के चार्टर को दिशानिर्देश सिंद्धातों के रूप में बनाया गया था ताकि उसके कार्मिक हर समय उसकी पाबंदी कर सके। इसे एनएफआरए की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

अध्याय २

राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन (एनएफआरए)

- 2.1 कंपनी अधनियम, २०१३ की धारा १३२ के अनुसार दिनांक ०१.१०.२०१८ को एनएफआरए का गठन किया गया है।
- 2.2 श्री आर श्रीधरन को ०१.१०.२०१८ को एनएफआरए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और डा. प्रसेनजीत मुखर्जी को एनएफआरए का सदस्य नियुक्त किया गया। (डा. प्रसेनजीत मुखर्जी ने ०३.१०.२०१८ को कार्यभार ग्रहण किया)।
- 2.3 केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा १३२ की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. १०६८ (अ) तारीख २८.०२.२०१९ के द्वारा राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के 7 अंशकालिक संदस्यों को नियुक्त किया। उक्त राजपत्र अधिसूचना का कथन इस प्रकार है:
 - "केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा १३२ की उप-धारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के अंशकालिक संदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:-
 - (i) श्री के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय;
 - (ii) श्री राम मोहन जोहरी, महानिदेशक, सूचना प्रणाली और लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीआईएसए), नियंत्रक और महालेखा परीक्षक;
 - (i i i) सुश्री सुधा बालाकृष्णन, मुख्य वितीय अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक;
 - (i v) श्री अमरजीत सिंह, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड;
 - (v) अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई);
 - (vi) अध्यक्ष, लेखा मानक बोर्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई);
 - (vi i) अध्यक्ष, ऑडीटिंग बोर्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई)।
- 2.4 केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की नियुक्ति पद्धति और सेवा से संबंधित अन्य नियम और शर्तें) नियम, २०१८ के नियम ४ के

उपनियम (६) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक २४.०६.२०२० के कार्यालय आदेश सं. एनएफआरए-०५/६/२०१८-एनएफआरए-एमसीए के द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की एनएफआरए में अंशकालिक सदस्यों के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्ति की –

- (i) श्री अमरजीत चोपड़ा, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
- (ii) श्री अनिल शर्मा, भागीदार (मैसर्स ए शर्मा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली)
- 2.5 एनएफआरए में कार्मिकों के नियोजन से संबंधित प्रक्रिया पर प्रतिनियुक्ति/अल्पाविध संविदा आदि के जिरए कड़ाई से अमल किया जाता है। ३१.०३.२०२० की स्थिति के अनुसार एनएफआरए में कार्यरत कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पदनाम	संख्या
१	अध्यक्ष	8
२	पूर्णकालिक सदस्य	8
3	सचिव के अतिरिक्त कार्यभार सिहत कार्यकारी निदेशक	8
8	कार्यकारी निदेशकगण	२
ч	मुख्य महाप्रबंधक	8
ξ	प्रमुख निजी सचिव	8
હ	प्रबंधक	8
۷	सहायक प्रबंधक	२
९	सहायक अनुभाग अधिकारी	8
१०	परामर्शदाता	१
११	पेशेवर कार्मिक	દ્દ

टिप्पणः यह विभिन्न अभिकरणों के जरिए बाह्य संसाधनकृत की गई सेवाओं के अलावा है।

- 2.6 एनएफआरए में प्रबंधकों और सहायक प्रबंधकों की सीधी भर्ती के लिए रिक्त स्थानों से संबंधित नोटिस १७.०२.२०२० को जारी कर दिया गया है।
- 2.7 एनएफआरए में परामर्शदाता/विरष्ठ परामर्शदाता के नियोजन की स्कीम ०८.११.२०१९ को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मंजूर कर दी गई थी और तद्रुसार परामर्शदाताओं को नियोजित करने संबंधी परिपत्र २६.०३.२०२० को जारी कर दिया गया था।
- 2.8 तद्रसार, एनएफआरए में कार्मिकों की भर्ती का कार्य चल रहा है।

अध्याय ३

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा प्रक्रिया :

- 3.1 एनएफआरए को अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित 'ड्यूटि सौंपी गई है:
 - क. कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३२(2)(ख) द्वारा एनएफआरए से, अन्य के साथ-साथ, यह अपेक्षित है कि वह लेखा मानकों सिहत अनुपालना की मानीटिरिंग एवं प्रवर्तन करें तथा यथा विहित ढंग में लेखापरीक्षा मानकों का पालन करें।
 - ख. एनएफआरए नियम, २०१८ के नियम ८ में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत लेखापरीक्षक मानकों के साथ अनुपालना की मानीटरिंग और प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ, एनएफआरए –
 - i) वर्किंग कागजातों (लेखापरीक्षा योजना एवं अन्य दस्तावेजों सहित) की समीक्षा और लेखापरीक्षा संबंधी पत्राचार की समीक्षा कर सकता है;
 - ii) लेखापरीक्षक की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की कारगरता और लेखापरीक्षक द्वारा प्रणाली दस्तावेज के तरीके का मूल्यांकन करें; और
 - iii) लेखापरीक्षक के पर्यवेक्षण, क्वालिटी कंट्रोल प्रक्रियाओं और लेखापरीक्षण का ऐसा अन्य परीक्षण कार्य करें जिसे आवश्यक अथवा उपयुक्त समझा जाए।
- 3.2 एनएफआरए को प्रदत्त उक्त कर्त्तव्य में आलोक में, एनएफआरए द्वार लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) की गई है। एक्यूआर का उद्देश्य ऑडिट फर्म द्वारा लेखापरीक्षण के मानकों की अपेक्षाओं के साथ अनुपालना का सत्यापन करना है जो कि कार्य के निष्पादन के सुसंगत हो। एक्यूआर का उद्देश्य ऑडिट फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का आकलन करना तथा यह देखना भी है कि कार्य के निष्पादन में उसकी किस सीमा तक अनुपालना की गई है।
- 3.3 एक्यूआर भारत में पहली बार किया गया है और इस प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:
 - क. ऑडिटी कंपनी को शासित करने वाली विधिक एवं विनियामक व्यवस्था की संपूर्ण समझ सहित संबंधित स्टॉफ का प्रशिक्षण जिसमें निम्नलिखित है:
 - (i) कंपनी अधिनियम के अनूप्रयोज्य प्रावधान विशेषकर एनएफआरए, लेखा और लेखापरीक्षा से संबंधित।

- (ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) विनियमन, विशेषकर सेबी सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षा (एलओडीआर)।
- (iii) ऑडिटी कंपनी के लिए लागू विशेष विधान, यदि कोई है, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और कोई अन्य ऐसा विधायन।
- ख. ऑडिटी कंपनी प्रोफाइल का अध्ययन: ऑडिटी कंपनी और ऑडिटी कंपनी के व्यवसाय से संबद्ध उद्योग की अच्छी समझ रखना। इसमें निम्नलिखित सूचना का अध्ययन शामिल है:
 - (i) ऑडिटी कंपनी की वेबसाइट।
 - (ii) ऑडिटी के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।
 - (iii) स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग का अध्ययन विश्लेषण।
 - (iv) रेटिंग रिपोर्टों का अध्ययन।
- ग. ऑडिटी के ऑडिट से संबंधित संगत रिकॉर्डों का अध्ययन।
- घ. लेखापरीक्षक के निम्नलिखित दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययनः
 - (i) समीक्षाधीन कार्य की ऑडिट फाइल।
 - (ii) लेखापरीक्षण मानक अर्थात् क्वालिटी कंट्रोल मानक 1 (एसक्यूसी-1) के मद्देनजर लेखापरीक्षक का नीति दस्तावेज।
 - (iii) स्वतंत्रता अपेक्षाओं की अनुपालना संबंधी लेखापरीक्षक का ब्यौरा।
- ङ. ऑडिट फर्म को प्रश्नावली भेजना और उसके प्रत्युत्तर का अध्ययन करना।
- च. ऑडिट से संबंधित प्रथम दृष्ट्या समुक्तियां/टिप्पणियां/निष्कर्ष तैयार करना। उसे ऑडिटर को भेजना और उस पर उनके प्रत्युत्तर का अध्ययन करना।
- छ. मसौदा लेखापरीक्षा क्वालिटी समीक्षा रिपोर्ट (डीएक्यूआरआर) बनाना। उसे ऑडिटर को भेजना और उस पर उनके प्रत्युत्तर का अध्ययन करना।
- ज. डीएक्यूआरआर के प्रत्युत्तर में अपनी प्रस्तुतियां की व्याख्या के लिए लेखापरीक्षक को मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान करना।
- झ. ऑडिटर की प्रस्तुति का गहन विश्लेषण और समीक्षाधीन ऑडिट एंगेजमेंट के संबंध में लेखापरीक्षा क्वालिटी समीक्षा रिपोर्ट (एक्यूआरआर) बनाना।
- ञ. एनएफआरए नियम, २०१८ के नियम ८ के अनुसार, एक्यूआरआर जारी करना (एनएफआरए नियम, २०१८ की प्रति वेबसाइट nfra.gov.in पर उपलब्ध है)

अध्याय ४

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए डेलॉयट हास्किंग तथा सेल्स एलएलपी द्वारा की गई आईएलएंडएफएस वित्तीय सेवाएं लिमिटेड की सांविधिक लेखापरीक्षा के बारे में एनएफआरए की लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट का कार्यकारी सार।

4.1 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड के लिए वर्ष २०१७-१८ की विधिक लेखा रिपोर्ट की लेखा परीक्षा गुणवत्ता परीक्षा समीक्षा का संचालन किया गया। इस अनुबंध के लिए डेलॉयट हास्किंग्स एंड सेल्स एलएलपी (डीएचएस) जिसका रजिस्ट्रेशन सं. ११७३६६ डब्ल्यू/डब्ल्यू-१०००१८ सांविधिक लेखा परीक्षक था । आईएफआईएन द्वारा जारी किए गए नॉन-कन्वर्टिबल डिबेन्चर्स और नॉन-कन्वर्टिबल रिडीनेबल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर 'मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज' पर सूचीबद्ध है, इसलिए आईएफआईएन लेखा परीक्षक एनएफआरए नियम के नियम ३ के प्रभाव से एनएफआरए के अधिकार क्षेत्र में आता है।

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३९ के तहत डीएचएस को वित्त वर्ष २०१७-१८ के लिए आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन) का वैधानिक लेखा परीक्षक चुना गया था। डीएचएस ने १४ सितंबर, २०१७ के अनुबंध पत्र के द्वारा लेखा परीक्षक अनुबंध को स्वीकार किया था।

- 4.2 कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३२ (२)(ख) के अनुसरण में एक्यूआर आरंभ की गई थी जिसमें एनएफआरए के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारित तौर तरीकों से लेखा मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के साथ ऐसे विहित तरीकों से निगरानी और अनुपालन कराना शामिल है।
- 4.3 अधिनियम में एनएफआरए नियम, २०१८ का नियम ८ में यह प्रावधान है कि लेखा परीक्षा मानकों के साथ निगारनी और अनुपालन कराने के उद्देश्य से, एनएफआरए :
 - (क) लेखा परीक्षा के लिए कार्यकारी दस्तावेज (लेखा परीक्षा योजना और अन्य दस्तावेज) और पत्राचार की समीक्षा करना;
 - (ख) लेखा परीक्षक के गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की पूर्णतया का मूल्यांकन करना और लेखा परीक्षक द्वारा प्रणाली के माध्यम से प्रलेखीकरण; और
 - (ग) लेखा परीक्षा के लिए अन्य जांच निरीक्षण कराना और लेखा परीक्षक के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को जारी या जैसा भी जरूरी या आवश्यक हो, कराना।
- 4.4 एक्यूआर को आवश्यक लेखा परीक्षा मानकों के गैर-अनुपालन को पहचानने और रेखांकित करने और लेखापरीक्षा फर्म की क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में कमियों के साथ ही

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए प्रलेखीकरण में आई त्रुटियों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्यूआर लेखा परीक्षा फर्म की निरीक्षण प्रक्रिया और गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है। इस प्रकार एक्यूआर को कुल मिलाकर रेटिंग टूल नहीं समझा जाना चाहिए।

- 4.5 एक्यूआर प्रक्रिया की शुरूआत २५ फरवरी, २०१९ को हुई। २३ सितम्बर, २०१९ को डीएचएस एक्यूआर रिपोर्ट के अंतिम रूप के ड्राफ्ट को जारी करने से पहले यह विभिन्न स्तरों से गुजरा था। एक्यूआर रिपोर्ट ड्राफ्ट पर डीएचएस की प्रतिक्रिया पर विचार करने के पश्चात ३० अक्टूबर, २०१९ को डीएचएस द्वारा मौखिक प्रस्तुतिकरण किया गया था और ४ नवम्बर, २०१९ को एनएफआरए ने लिखित रूप में एक्यूआर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। एक्यूआर रिपोर्ट को १२.१२.२०१९ को जारी किया गया।
- 4.6 एक्यूआर ने बताया कि लेखापरीक्षक के मानकों के अनुपालन की अपेक्षाओं में डीएचएस को विफल पाया गया। विफलता की घटनाओं पर ध्यान इतना महत्वपूर्ण है कि एनएफआरए को यह प्रतीत होता है कि डीएचएस के पास लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने से संबंधित प्राप्त कारण नहीं है।
- 4.7 यह एक्यूआर वैधानिक लेखा परीक्षा में सिम्मिलित समस्त कार्य प्रयोजन को कवर नहीं करती है। मामलों के समाधान के लिए जो अभी कवर नहीं किए गए हैं, बाद में एक अनुवर्ती रिपोर्ट जारी की जा सकती है।
- 4.8 एक्यूआर में यह बताया गया है गया कि:-
 - (क) लेखापरीक्षकों की स्वायत्ता को गैर-ऑडिट सेवाओं की आवश्यक शुल्क के प्रावधानों द्वारा ताक पर रखा गया जो कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४४ के तहत गैर-ऑडिटिड सेवाओं को स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया था और ऐसी सेवाओं की स्वीकृति न लिए जाने पर लेखापरीक्षा द्वारा अनुमोदन लिया जाना आवश्यक था;
 - (ख) अनुबंधन हिस्सेदार अर्थात डीएचएस द्वारा नामित हिस्सेदार के रूप में व्यक्ति जो विधिक ऑडिट कार्य के पूर्ण रूप से प्रभारी हैं, जिसने ऑडिट रिपोर्ट पर अनुबंध हिस्सेदार के रूप में आवश्यक कार्य पूरा न करते हुए हस्ताक्षर किए, ऑडिट फर्म ने दो अनुबंध हिस्सेदार के रूप में नामित करके एसक्युसी १ और एसए २२० का उल्लंघन किया है जिससे जवाबदेही का ह्रास ह्आ।
 - (ग) डीएचएस ने आवश्यक पेशेवर संशयवाद को प्रदर्शित नहीं किया और महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रबंधन को चुनौती नहीं दी है।

- (घ) डीएचएस उचित रूप से पहचान, वर्गीकरण और न्यूनतम अनुबंध जोखिम विशेष रूप से ऑडिट की गई कंपनी के आकार, प्रकृति और आर्थिक महत्व को देखते हुए इन्हें हल करने में विफल रहा। धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण के जोखिम को डीएचएस ने खारिज कर दिया था। इस प्रकार अपर्याप्त ऑडिट प्रक्रियाएं उत्पन्न हुईं।
- (ङ) डीएचएस ने आईएफआईएन के ३१ मार्च, २०१८ के निवल स्वामित्व वाले फंड (NOF) और द कैपिटल टू रिस्क ऐसेट रेशियो (सीआरएआर) के दो नकारात्मक वाले तथ्य को उजागर न करने वाले प्रबंधन के स्टैंड को स्वीकार किया है और इस स्थिति में कंपनी के एनबीएफसी लाइसेंस को रद्द करने की स्थिति पैदा होगी। डीएचएस ने प्रबंधन के स्पष्टीकरण को जो स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत स्वीकार करते हुए एनओएफ और सीआरएआर को सकारात्मक दर्शाते हुए खातों को प्रमाणित किया।
- (च) डीएचएस ने प्रबंधन के वितीय विवरण तैयार किए जाने पर संबंधी सत्तत व्यापार कि बुनियादी अवधरणा के आधार पर पर्याप्त प्रश्न नहीं उठाए।
- (छ) डीएचएस ने एक व्युत्पन्न संपत्ति की कीमत को शामिल करने के मुद्रास्फीति पर १८० करोड़ रूपये से अधिक लाभ को चुनौती नहीं दी और न ही प्रबंधन पर सवाल उठाए जो पूरी तरह अनुचित था।
- (ज) डीएचएस ने लेखापरीक्षा में उठे किसी मामलों जो आवश्यक लेखा परीक्षा मापदंडों के अनुरूप भी थे, को आईएफआईएन के संचालन प्रभारी के समक्ष नहीं उठाया।
- (झ) अनुबंध गुणवता नियंत्रण समीक्षा, जिसे किया गया, बताया गया गई है वह पूर्णत: बनावटी प्रतीत होती है।
- 4.9 एनएफआरए ने निष्कर्ष निकाला है कि डीएचएस की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं गंभीर रूप से अपर्याप्त और अप्रभावी हैं, जैसा कि एक्यूआर रिपोर्ट के विभिन्न खण्डों में दिए गए विवरणों के माध्यम से सामने लाया गया है। डीएचएस को अपनी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रिया को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई और उक्त संशोधन प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
- 4.10 एनएफआरए, अलग से यह भी जांच करेगा कि क्या कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३२(४) के अंतर्गत/तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। (नोट: एनएफआरए ने इस संबंध में वर्ष २०२०-२१ के दौरान पहले ही कार्रवाई कर दी है।)

अध्याय ५

एनएफआरए में शिकायत निवारण की प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश

5.0 प्रस्तावनाः

- 5.1 राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की स्थापना ०१.१०.२०१८ को दिनांक ०१ अक्तूबर, २०१८ की एमसीए राजपत्र अधिसूचना सं. ५०९९(अ) के तहत कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३२ के तहत की गई थी। एमसीए ने राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि.११११(अ) दिनांक १३.११.२०१८ के तहत राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, २०१८ को अधिसूचित किया है।
- 5.2 कंपनी अधिनियम का अनुपालन नहीं होने के मामले में एनएफआरए की भूमिका:
 - (क) अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मानकों का अनुपालन नहीं किया जाना: कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३२(२)(ख) में यह व्यवस्था है कि एनएफआरए अकाउंटिंग मानकों एवं ऑडिटिंग मानकों के अनुपालन की मानीटरिंग एवं प्रवर्तन इस प्रकार से करता है जैसा कि निर्धारित किया गया है। अकाउंटिंग मानकों एवं ऑडिटिंग मानकों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, २०१३ की क्रमश: धारा १३३ और १४३(१०) के तहत किया जाता है।

(i) अकाउंटिंग मानक:

- एनएफआरए नियम, २०१८ का नियम ७, अन्य बातों के साथ-साथ, अकाउंटिंग मानकों के अनुपालन को कवर करता है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि एनएफआरए अपनी वेबसाइट पर (उपनियम ३) गैर-अनुपालन से संबंधित अपने निष्कर्ष प्रकाशित करेगा। साथ ही, जहां पर एनएफआरए को यह लगेगा कि अकाउंटिंग मानक का अनुपालन नहीं हुआ है तो यह अपने संबंधित प्रभाग के माध्यम से आगे की जांच एवं इसे लागू करने संबंधी कार्रवाई के बारे में निर्णय ले सकता है।
- जहां पर जांच से कंपिनयों द्वारा अपराध किए जाने का पता चलेगा वहां पर एनएफआरए इस मामले को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भेजेगा।

(ii) ऑडिटिंग मानक:

• जहां तक ऑडिटिंग मानकों का अनुपालन करने का संबंध है, एनएफआरए नियम,

२०१८ में यह व्यवस्था है कि जहां पर किसी ऑडिटर द्वारा इसमें किसी कानून, अथवा व्यावसायिक अथवा अन्य मानकों का उल्लंघन किया गया है, वहां पर एनएफआरए अपने संबंधित प्रभाग के माध्यम से आगे की जांच अथवा इसे लागू करने संबंधी कार्रवाई के बारे में निर्णय ले सकता है। [नियम ८(८)].

• जहां पर किसी ऑडिटर द्वारा कानून, अथवा व्यावसायिक अथवा अन्य मानकों का उल्लंघन धारा १३२(४) की धारा के तहत एनएफआरए की शक्तियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता हो तब इस मामले को यथोचित कार्रवाई हेत्, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भेजना होगा

(ख) सीए/फर्मीं द्वारा व्यावसायिक अथवा अन्य कदाचार:

- धारा १३२(४) के तहत एनएफआरए की भूमिका का संबंध किसी सदस्य अथवा (i) सीए के फर्म द्वारा किए गए पेशेवर अथवा अन्य कदाचार से है। जुर्माने थोपना एवं ऐसी गतिविधि पर रोक लगाना भी किसी फर्म अथवा किसी सीए से संबंधित है। पेशेवर अथवा अन्य कदाचार का अर्थ वही है जिसकी व्याख्या सीए अधिनियम, १९४९ की धारा २२ के तहत की गई है।
- सीए अधिनियम, १९४९ की धारा २२ के तहत पेशेवर अथवा अन्य कदाचार की (ii) परिभाषा, अधिनियम की दो अन्सूचियों में प्रदान की गई सूचियों से संदर्भित है जो निम्नानुसार है:

प्रथम अनुसूची:

भाग I : प्रचलनाधीन सीए के संबंध में पेशेवर कदाचार : १२ प्रविष्टियां

: सेवारत सदस्यों के संबंध में पेशेवर कदाचार : २ प्रविष्टियां.

भाग ।।। : सभी सदस्यों के संबंध में पेशेवर कदाचार : ३ प्रविष्टियां

भाग IV : अन्य कदाचार (सभी सदस्य) : २ प्रविष्टियां

दूसरी अनुसूची:

भाग । : प्रचलनाधीन सीए का पेशेवर कदाचार : १० प्रविष्टियां

भाग ।। : पेशेवर कदाचार (सभी सीए) : ४ प्रविष्टियां भाग ।।। : अन्य कदाचार (सभी सीए) : १ प्रविष्टि

- दोनों अनुसूचियों में सभी प्रविष्टियों के विस्तृत मूल्यांकन से पता चलता है कि (ग) लगभग सभी प्रविष्टियों का संबंध उस कदाचार से है जिसका संबंध किसी आपराधिक कृत्य से नहीं है सिवाय:
 - जहां किसी सीए को किसी कारावास की सजा के अपराध के लिए न्यायालय (i) द्वारा दोषी पाया गया हो; अथवा

- (ii) अपनी पेशेवर क्षमता में पैसा हड़पने अथवा गबन करना (दूसरी अनुसूची के भाग II की प्रविष्टि ४)
- (घ) एनएफआरए के लिए निष्कर्ष एवं मार्गदर्शन:
 - (i) सभी उपरोक्त उपबंधों के संयुक्त पाठ से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलेंगे:
 - एनएफआरए के क्षेत्राधिकार कंपनियों एवं कारपोरेट निकायों के उक्त वर्गों के ऑडिटर आते हैं जैसा कि एनएफआरए नियम, २०१८ के नियम ३ में विनिर्दिष्ट है।
 - कंपनी अधिनियम, के उल्लंघन (अर्थात् अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मानकों का उल्लंघन) के संबंध में एनएफआरए की भूमिका तब शुरू होती है जब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मानकों का अनुपालन नहीं हो रहा हो।
 - ऐसे मामलों में मामले को या तो (i) धारा १३२(४) के तहत उठाया जाएगा यदि किसी फर्म अथवा किसी सीए द्वारा पेशेवर कदाचार का पता चलता हो अथवा (ii) इसे आगामी कार्रवाई हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा।
 - वास्तव में जिन सीए पर अपराध आरोपित किए गए हैं उनकी शिकायत
 एनएफआरए के दायरे के भीतर नहीं आती हैं।
 - सीए अधिनियम की धारा २२ के साथ पठित धारा १३२(४) में परिभाषित किए
 गए अनुसार पेशेवर कदाचार कदाचार व्यापक तौर पर ऑडिट संबंधी मामलों
 जैसे ऑडिट के मामले में अनदेखी, सूचना को दबाने, गैर-प्रकटीकरण आदि से
 संबंधित है।
 - जहां तक साक्ष्य का संबंध है कंपनी अधिनियम के उल्लंघन और/अथवा पेशेवर कदाचार को केवल दस्तावेजी साक्ष्य के जिरए साबित करना होगा। जहां पर गैर-एमओसीए स्रोत से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वैसी स्थिति में एनएफआरए को निम्नानुसार कार्रवाई करनी चाहिए:
 - यदि कोई शिकायत सरकारी विभाग अथवा सरकारी एजेंसी अथवा किसी सांविधिक निकाय से प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में एनएफआरए शिकायत की जांच कर सकता है और आवश्यक होने पर आगे की सूचना, स्पष्टीकरण, दस्तावेजी साक्ष्य आदि के लिए शिकायत के बारे में पूछ सकता है। यदि इस प्रकार की जांच के पश्चात् प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है तो एनएफआरए, यदि इसकी नजर में ऐसा करना वांछनीय हो, या तो

- क) धारा १३२(४) के तहत कोई जांच प्रारंभ कर सकता है; अथवा
- ख) आवश्यक कार्रवाई हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय को यथोचित रिपोर्ट भेज सकता है।
- यदि शिकायत किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होती है तो उस शिकायत की तभी जांच की जा सकती है यदि प्रथम दृष्ट्या मामला स्थापित करे के लिए आवश्यक दस्तावेज साक्ष्य प्रदान किया जाता है। दस्तावेजों साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जांच प्रारंभ करने हेतु प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य में कमी के आधार पर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। जहां पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो शिकायतकर्ता द्वारा ऐसे दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के स्रोत एवं विधि के बरे में शपथ के बारे में शिकायत की जानी चाहिए जहां पर वह इसका कस्टोडियन न हो और इस बात की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि यदि शपथ के तहत मिथ्या साक्ष्य आधार पर वह कोई झूठा बयान देता है तौ उस पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे शपथ पत्र के अभाव में भी शिकायत यह लिखते हुए दर्ज करनी चाहिये कि इसमे प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य में कमी है।
- 5.3 उपरोक्त पैरा २ में कंपनी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों और एनएफआरए नियम, २०१८ के विश्लेषण के मद्देनजर एनएफआरए में शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में निर्णय किया गया है और इसे एनएफआरए वेबसाइट (nfra.gov.in) पर डाला गया है। इसमें शिकायत करते समय एनएफआरए को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची शामिल है।

एनएफआरए में शिकायत समाधान प्रक्रिया का फ्लोचार्ट निम्नवत है

एनएफआरए में शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया

नहीं प्राथमिक आधार पर कोई मामला बनाया गया है ? एनएफआरए का निर्णय यदि शिकायत की जांच की जानी क्या नहीं 机 जिसके आधार पर आरोप लगाए गए हैं ? निर्धारित दस्तावेजों की सूची अनुबंध-1 दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए ज्य^e क्या शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करे में दी गई है। जेंद शिकायत नहीं 🗖 नहीं अंद नएफआरए द्वारा आगे की गैर-सरकारी निकाय से सत्यापित की गई है और गॅनलाइन दर्ज कर दी कार्रवाई अपेक्षित है ? नएफआरए से बिधित शिकायत शिकायत की म्या शिकायत करते हुए प्रक्रिया का अनुपालन उपयुक्त जांच करें नहीं ST. ST. उपयुक्त कार्यवाही आरंभ करें एनएफआरए का निर्णय यदि शिकायत की आंच र्मार्थ मंत्रालय / अन्य द्वारा कोड् आगे की कार्रवाई अपेक्षित की गई है किसी अन्य सरकारी निकाय से शिकायत नहीं कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त नहीं ज्ञाः दस्तावेज की मांग करें यदि अपेक्षित हो शिकायत की जांच करें तथा अतिरिक्त J. प्राथमिक आधार पर कोई मामला बनाया गया है ? क्या सत्यापित की गई है और लाइन दर्ज कर दी एनएफआरए से बंधित शिकायत संगत प्राधिकारी को उपयुक्त रिपोर्ट भेजें कार्यवाई समाप्त द्वारा अग्रेषित शिकायत कारपोरेट कार्य मंत्रालय नहीं नहीं फाइल करें नहीं जवाब सहित नार्य मंत्रालय निकाय को मामले को । सरकारी कारपोरेट

अध्याय ६ एनएफआरए कार्मिकों का प्रशिक्षण



चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तथा अन्य कर्मचारियों के लिए परिचय/विन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (12-13 सितंबर, 2019)



एनएफआरए के अध्यक्ष विन्यास कार्यक्रम के दौरान एनएफआरए के कार्मिकों को प्रशिक्षण देते हुए

6.1 १२, १३ सितंबर और १० अक्तूबर, २०१९ को एनएफआरए के अध्यक्ष, एनएफआरए के सद्सय और डॉ. आर. नारायणस्वामी (प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर) द्वारा एनएफआरए में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।

- 6.2 भारत में पहली बार लेखापरीक्षा गुणवता समीक्षा प्रक्रिया निष्पादित की गई है इसके निष्पादन के लिए अध्यक्ष, एनएफआरए तथा सदस्य एनएफआरए द्वारा एनएफआरए के संबंधित कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
- 6.3 एनएफआरए के कार्मिकों के बीच समय-समय पर परस्पर वार्तालाप व्याख्यान दिए गए/सत्र आयोजित किए गए और इसके साथ-साथ परस्पर रुप से संबंधित ज्ञान/अनुभवों को साझा किया गया।

अध्याय - ७

प्राधिकरण की बैठकें

7.1 राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की बैठकें एनएफआरए के अध्यक्ष की अध्यक्षता में क्रमश: ३०.०१.२०२० और २५.०३.२०२० को आयोजित की गई। एनएफआरए ने निम्नलिखित के संबंध में कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३२(२)(क) की बाबत कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सिफारिशें दी:

- (क) कंपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट (आदेश), २०१९ पर सिफारिशें
- (ख) एस ए ८००. ८०५. ८१० लेखापरीक्षा मानकों में परिवर्तन
- (ग) लेखा मानकों में परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) लेखामानकों में परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए इंड एएस १, ८, १०३, १०७, १०९
- (घ) कंपनी अधिनियम, २०१३ के तहत कंपनी (लेखा मानक) नियम, २००६ का परिलक्षण



३०.०१.२०२० को आयोजित प्राधिकरण की बैठक



कोविड-१९ को दृष्टिगत रखते हुए २५.०३.२०२० को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित प्राधिकरण की बैठक

अध्याय - ८

किए गए प्रमुख कार्यकलापों का ब्यौरा

- 8.1 ०१.०४.२०१९ से ३१.०३.२०२० की अवधि के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय/राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा किए गए प्रमुख कार्यकलापों के ब्यौरे निम्नानुसार है
 - (i) केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३२ की उपधारा (११) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (प्राधिकरण के सिचव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवाओं से संबंधित अन्य शर्तें) नियम, २०१९ बनाए। इन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक १६ मई, २०१९ की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि.३६९(अ) द्वारा अधिसूचित किया गया था।
 - (ii) केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा ४६९ के साथ पठित धारा १३२ की उपधारा (१०) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (व्यवसाय के लेनदेन का संचालन) नियम, २०१९ बनाए।
 - (iii) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, २०१९, संसदीय कार्यवाही २०१९ की सं. २२ को ३१ जुलाई, २०१९ को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ और इसे विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की ३१ जुलाई, २०१९ की राजपत्र अधिसूचना सं. ४१ के द्वारा आम सूचना के लिए प्रकाशित किया गया। कंपनी अधिनियम, २०१३, की धारा १३२ में भी उक्त अधिनियम के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ संशोधन किया गया।
 - (iv) केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा १३२ की उपधारा (२) और (४), धारा १३९ की उपधारा (१) और धारा ४६९ की उपधारा (१) का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, २०१८ में संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (संशोधन) नियम, २०१९ नियम बनाए। इन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय की ०५ सितंबर, २०१९ की राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि.६३६(अ) के द्वारा अधिसूचित किया गया।
 - (v) एनएफआरए की वेबसाइट बनाकर उसे nfra.gov.in के रूप में डाला गया।

- (vi) एनएफआरए में शिकायतों का निपटान करने संबंधी प्रक्रियाओं से संबंधित दिशानिर्देशों को एनएफआरए की वेबसाइट पर डाल दिया गया।
- (vii) एनएफआरए में लेखापरीक्षा फर्मों की गुणवत्ता समीक्षा करने के लिए तकनीकी समीक्षक नियोजन स्कीम (टीआर) को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा २४.०५.२०१९ को एनएफआरए के निमित्त मंजूरी दी गई। एनएफआरए में तकनीकी समीक्षकों (टीआर) का पैनल बनाने के लिए दिनांक ०७.०२.२०२० को दिए गए विज्ञापन के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए।
- (viii) वितीय वर्ष २०१७-१८ के लिए आईएलएंडएफएस वितीय सेवा सांविधिक लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट १२.१२.२०२० को डेलॉयट हसिकन्स एंड सेल्स (डीएचएस) द्वारा तैयार करके जारी की गई। इसके अलावा, इसको दृष्टिगत रखते हुए जनवरी, २०२० में डीएचएस के ३ भागीदारों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किए गए।
- (ix) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए एनएफआरए की सिफारिशों को निम्नलिखित के संबंध में संप्रेषित किया गया:
 - क) भारतीय रेलवे वित्त निगम द्वारा स्थगित कर देयता का उपचार।
 - ख) मैसर्स स्पाइस जेट द्वारा उठाया गया पट्टा देयता से संबंधित मुद्दा।
 - ग) कोविड-१९ के संबंध में लेखांकन संबंधी सलाह।
- (x) एनएफआरए-१ और एनएफआरए-२ प्ररूप फाइल करने संबंधी सुविधा विकसित करने के बाद उसे फाइल करने के निमित्त संबंधित इकाइयों के लिए कार्रवाई ऑनलाइन कर दी गई।
- (xi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा उत्तरी भारत सीए परिसंघ बनाम यूओआई और अन्य डब्ल्यूपी (सी) १०५६७/२०१८ शीर्षक से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले की प्रभावी रूप में पैरवी की गई और इसे न्यायालय के तारीख १७.०९.२०१९ के आदेश के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया।
- (xii) एनएफआरए द्वारा २०१९-२० के दौरान दायर न्यायालय में किए गए निम्नलिखित मामलों की पैरवी संबंधित न्यायालयों में प्रभावी रूप से की जा रही है।

- (क) कंपनी अधिनियम की धारा १३२ से संबंधित रुकशद दारूवाला बनाम भारत संघ द्वारा दायर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. १५२२/२०२० की पैरवी एनएफआरए द्वारा कारगर रूप में की जा रही है।
- (ख) कंपनी अधिनियम की धारा १३२ से संबंधित उडयन सेन बनाम भारत संघ द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं. १५२४/२०२० की पैरवी एनएफआरए द्वारा कारगर रूप में की जा रही है।
- (ग) कंपनी अधिनियम की धारा १३२ से संबंधित श्रेणिक बेद बनाम भारत संघ द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं. १५२५/२०२० की पैरवी एनएफआरए द्वारा कारगर रूप में की जा रही है।
- (xiii) एनएफआरए नियम, २०१८ के नियम ३ के अनुसार एनएफआरए के दायरे के तहत आने वाली इकाइयों और प्राधिकण के कर्त्तव्यों एवं कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए लेखापरीक्षा फाइलों का अनुरोध किया गया और उन्हें समीक्षा के लिए चयनित इकाइयों के सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त किया गया। अब ये समीक्षा की विभिन्न अवस्थाओं में है।
- (xiv) एनएफआरए में कागजात रहित कार्य प्रणाली विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र की सहायता से एनएफआरए को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।
- (xv) एनएफआरए के अध्यक्ष ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान एनएफआरए के कार्मिकों को शपथ दिलाई।



अध्याय ९

वर्ष २०१९-२० के लिए एनएफआरए बजट आवंटन और व्यय

9.1 वर्ष २०१९-२० के लिए एनएफआरए बजट आवंटन और व्यय निम्नानुसार है:

(रू हजार में)

शीर्ष संख्या	राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग	बजट अनुमान	संशोधित	व्यय
	प्राधिकरण		अनुमान	
३४७५००१०५०६	कुल	१९०३००	२४१८००	२१३१७५
३४७५००१०५०६०००१	वेतन	१५०००	१५०००	३२७१
386400606005	मजदूरी	१००	१०००	९८०
3804006006003	समयोपरि भत्ता	१००	१९	0
३४७५००१०५०६०००६	चिकित्सा उपचार	१९००	५००	६१
३४७५००१०५०६००११	घरेलू यात्रा व्यय	१०००	५००	4 8 C*
३४७५००१०५०६००१२	विदेशी यात्रा व्यय	५००	१८२१	१८४९*
38020060600£	कार्यालय व्यय	१००००	११७००	१०८८२
३४७५००१०५०६००१४	किराया, दरें और कर	१५२३००	१९००००	१७५३२३
३४७५००१०५०६००१६	प्रकाशन	۸۰۰	१०	0
३४७५००१०५०६००२०	अन्य प्रशासनिक व्यय	१४५०	४००	२४५
३४७५००१०५०६००२६	विज्ञापन और प्रचार	۸۰۰	१५०	388*
३४७५००१०५०६००२८	पेशेवर सेवाएं	६१५०	८०००	હદ્દદ્દ
३४७५००१०५०६९९१३	सूचना प्रौद्योगिकी	१०००	१२७००	१२००३
	कार्यालय व्यय			

* संशोधित अनुमान से अधिक राशि को पुनःविनियोजित किया गया था।

9.2 इस अविध के दौरान एनएफआरए से संबंधित आहरण और संवितरण कार्य कारपोरेट कार्य मंत्रालय के जिरए निष्पादित किया गया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की लेखापरीक्षा भारत के कंप्टोलर और महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा की गई।

National Financial Reporting Authority (NFRA)

ANNUAL REPORT AND AUDITED ACCOUNTS 2019-20

National Financial Reporting Authority 7th- 8th Floor, Hindustan Times Building, K.G. Marg, New Delhi -110001.

Index

Serial Number	Chapter	Page Number
1.	Chapter 1 - Introduction	26
2.	Chapter 2 - Constitution of National Financial Reporting Authority (NFRA)	27-28
3.	Chapter 3 - Process of Audit Quality Review followed by National Financial Reporting Authority (NFRA)	29-30
4.	Chapter 4 - Executive Summary of Audit Quality Review Report of NFRA on the Statutory Audit of IL&FS Financial Services Limited Done By Deloitte Haskins and Sells LLP for the Financial Year 2017-18.	31-33
5.	Chapter 5 - Guidelines on Procedure for Complaint Handling in NFRA	34-37
6.	Chapter 6 - Training of NFRA Staff	38-39
7.	Chapter 7 - Meetings of the Authority	40-41
8.	Chapter 8 - Details of Salient Activities Undertaken	42-44
9.	Chapter 9 - NFRA Budget allocation and Expenditure for the Year 2019 - 20	45

Introduction

- 1.1 NFRA has been constituted as per Section 132 of the Companies Act, 2013 on 01.10.2018.
- 1.2 National Financial Reporting Authority (NFRA), New Delhi, is a statutory body set up under Section 132 of Companies Act, 2013. NFRA has been established to protect the public interest and the interests of investors, creditors and others associated with the companies or bodies corporate by establishing high quality standards of accounting and auditing and exercising effective oversight of accounting functions performed by the companies and bodies corporate and auditing functions performed by auditors. Further details can be known from the website nfra.gov.in.
- 1.3 The need for establishing NFRA has arisen on account of the need felt across various jurisdictions in the world, in the wake of accounting scams, to establish independent regulators, for enforcement of auditing standards and ensuring the quality of audits, and thereby, enhance investor and public confidence in financial disclosures of companies.
- 1.4 In light of the functions and duties of NFRA, the Charter of NFRA was formulated as a guiding principle for its staff for meticulous adherence at all times and has been put up on NFRA website.

Constitution of National Financial Reporting Authority (NFRA):

- 2.1 NFRA has been constituted as per Section 132 of the Companies Act, 2013 on 1.10.2018.
- 2.2 Shri R Sridharan was appointed as Chairperson NFRA and Dr. Prasenjit Mukherjee_ was appointed as Member NFRA on 1.10.18. (Dr. Prasenjit Mukherjee joined on 3.10.18).
- 2.3 Central Government in exercise of Powers conferred by Sub section (3) of Section 132 of the Companies Act, 2013, appointed seven part time members of NFRA vide Ministry of Corporate Affairs Gazette Notification No. S.O. 1068 (E). dated 28.2.19. The said Gazette Notification states thus:

"In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoint the following persons as part-time members of the National Financial Reporting Authority (NFRA) with immediate effect, namely:-

- (i) Shri K V R Murty, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs;
- (ii) Shri Ram Mohan Johri, Director General, International Centre for Information Systems and Audit (ICISA), Comptroller & Auditor General;
- (iii) Ms. Sudha Balakrishnan, Chief Financial Officer, Reserve Bank of India;
- (iv) Shri Amarjeet Singh, Executive Director, Securities and Exchange Board of India;
- (v) President, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI);
- (vi) Chairperson, Accounting Standards Board, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI);
- (vii) Chairperson, Auditing and Assurance Standards Board, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)."
- 2.4 Central Government in exercise of Powers conferred by Sub-Rule (6) of Rule 4 of the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other terms and conditions of service of Chairperson and Members) Rules 2018, appointed the following persons vide Officer Order No. NFRA-05/6/2018-NFRA-MCA dated 24.6.2020 as Part time members in NFRA for a period of 3 years.
 - (i) Shri Amarjit Chopra, Ex -President Institute of Chartered Accountants of India.
 - (ii) Shri Anil Sharma, Partner (M/s A Sharma & Company, Chartered Accountants, New Delhi).

2.5 The engagement of staff in NFRA via deputation / short term contract, etc. was vigorously pursued and as on 31.3.2020 the staff working in NFRA was as follows:

S.N.	Designation	Number
1.	Chairperson	1
2.	Full Time Member	1
3.	Executive Director will look after charge of Secretary	1
4.	Executive Directors	2
5.	Chief General Manager	1
6.	Principal Private Secretary	1
7.	Manager	1
8.	Assistant Manager	2
9.	Assistant Section Officer	1
10.	Consultant	1
11.	Professionals	6

Note: This is excluding the services outsourced through various agencies.

- 2.6 The Vacancy Notice for direct recruitment of Managers and Assistant Managers in NRFA has been issued on 17.2.2020.
- 2.7 Scheme of Engagement of Consultant / Senior Consultant in NFRA was approved by Ministry of Corporate Affairs on 08.11.19 and accordingly Circular for engaging consultants was issued on 26.3.2020
- 2.8 As such, action for staffing of NFRA is under way.

Process of Audit Quality Review followed by National Financial Reporting Authority (NFRA)

- 3.1 The following duties have been, inter-alia, cast upon NFRA:
 - a. Section 132(2)(b) of the Companies Act, 2013, requires the NFRA to, inter-alia, monitor and enforce compliance with accounting standards and auditing standards in such manner as may be prescribed.
 - b. **Rule 8 of the NFRA Rules, 2018**, provides that for the purpose of monitoring and enforcing compliance with auditing standards under the Act, NFRA may
 - i. Review working papers (including audit plan and other documents) and communications related to the audit:
 - ii. Evaluate the sufficiency of the quality control system of the auditor and the manner of documentation of the system by the auditor; and
 - iii. Perform such other testing of the audit, supervisory and quality control procedures of the auditor as may be considered necessary or appropriate.
- 3.2 In light of the said duty cast upon NFRA, Audit Quality Review (AQR) has been carried out by NFRA. The AQR has the objective of verifying compliance with the Requirements of Standards on Auditing (SAs) by the Audit Firm relevant to the performance of the Engagement. The AQR also has the objective of assessing the Quality Control System of the Audit Firm and the extent to which the same has been complied with in the performance of the Engagement.
- 3.3 AQR has been carried out for the first time in India and the said process involves following steps:
 - A. Training of the staff concerned including a thorough understanding of the legal and regulatory regime governing the auditee company including the following:
 - (i) Applicable provisions of the Companies Act, especially those relating to NFRA, accounts and audit.
 - (ii) Securities and Exchange Board of India (SEBI) Regulations, especially SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirement (LODR).
 - (iii) Special statutes, if any, applicable to the auditee company such as the Reserve Bank of India (RBI) Act, Banking Regulation Act, and any other such legislation.

- B. Study of Auditee Company Profile: Obtain a good understanding of the industry relevant to the auditee company, and the business of the auditee company. This includes study of the following information:
 - (a) The website of the auditee company.
 - (b) Analysis of Financial statements of the Auditee
 - (c) Study / analysis of stock exchange filings
 - (d) Study Rating Reports
- C. Study of relevant records of Auditee relating to the Audit.
- D. Detailed study of the following documents of the Auditor:
 - (i) Audit file of the Engagement under Review
 - (ii) The Policy document of the Auditor in view of Auditing Standard namely Standard of Quality Control 1 (SQC 1).
 - (iii) Details of the Auditor relating to compliance of Independence requirements.
- E. Issue of questionnaire to the Audit Firm sand study the response of the same.
- F. Formulation of prima facie observations/comments/ conclusions relating to the Audit. Issue the same to the Auditor and study his response to the same.
- G. Formulation of a Draft Audit Quality Review Report (DAQRR) Issue the same to the Auditor and study his response to the same.
- H. Give opportunity of oral hearing to the Auditor to explain his submissions in response to the DAQRR.
- I. In-depth analysis of the submission of the auditor and formulation of Audit Quality Review Report (AQRR) with regard to the Audit Engagement under review.
- J. Issue of the AQRR in accordance with Rule 8 of NFRA Rules 2018 (copy of NFRA Rules 2018 are available on website nfra.gov.in)

Executive Summary of Audit Quality Review Report of NFRA on the Statutory Audit of IL&FS Financial Services Limited Done By Deloitte Haskins and Sells LLP for the Financial Year 2017-18.

4.1 National Financial Reporting Authority (NFRA) has conducted an Audit Quality Review (AQR) of the statutory audit for the year 2017-18 of ILFS Financial Services Limited (IFIN). The statutory auditor for this engagement was Deloitte Haskins and Sells LLP (DHS) having Registration No. 117366 W/W-100018. The Non-Convertible Debentures and Non-Convertible Redeemable Cumulative Preference Shares issued by IFIN are listed on the Bombay Stock Exchange (BSE). The auditors of IFIN, therefore, fall under the jurisdiction of NFRA by virtue of Rule 3 of the NFRA Rules, 2018.

DHS was appointed as the statutory auditor for IL&FS Financial Services Limited (IFIN) for the financial year 2017-18, under section 139 of the Companies Act 2013 (the Act). DHS accepted the Audit Engagement vide its Engagement Letter (EL) dated 14th September, 2017.

- 4.2 The AQR was conducted pursuant to Section 132(2)(b) of the Companies Act, 2013, which requires the NFRA to, inter-alia, monitor and enforce the compliance with accounting standards and auditing standards in such manner as may be prescribed.
- 4.3 Rule 8 of the NFRA Rules, 2018, provides that, for the purpose of monitoring and enforcing compliance with auditing standards in the act, the NFRA may:
 - a. review working papers (including audit plan and other documents) and communications related to the audit;
 - b. evaluate the sufficiency of the quality control system of the auditor and the manner of documentation of the system by the auditor; and
 - c. perform such other testing of the audit, supervisory, and quality control procedures of the auditor, as may be considered necessary or appropriate.
- 4.4 The AQR is designed to identify and highlight non-compliance with the requirements of the Standards on Auditing (SAs) and to bring out insufficiencies in the quality control system of the audit firm, as well as shortcomings in the documentation of the audit process. The AQR also evaluates the quality and adequacy of the supervisory procedures of the audit firm. The AQR, therefore, is not to be treated as an overall rating tool.
- 4.5 The AQR process commenced on 25th February, 2019. It went through several different stages before a draft AQR Report was issued to DHS on 23rd September, 2019. After considering the responses of DHS to the draft AQR Report, both at the oral presentation made by DHS to the NFRA on 30th October, 2019, and in writing on 4th November, 2019, NFRA has finalized the AQR Report. The AQR report was released on 12.12.2019.

- 4.6 The AQR has disclosed that DHS has failed to comply with the requirements of the SAs. The instances of failure noticed are of such significance that it appears to NFRA that DHS did not have adequate justification for issuing the audit report asserting that the audit was conducted in accordance with the SAs.
- 4.7 This AQR does not cover the entire scope of work involved in the statutory audit. A supplementary report may be issued later to deal with matters that have not now been covered in the report.

4.8 The AQR points out that:

- a. The independence of the auditor was compromised by the provision of non-audit services for substantial fees; that these non-audit services were clearly prohibited services in terms of Section 144 of the Companies Act, 2013; and the mandatory approval of the Audit Committee that would have been required if the provision of such services was permissible was not obtained;
- b. The Engagement Partner, i.e., the partner designated by DHS as the person in overall charge of the statutory audit work had signed the Audit Report without discharging most of the important duties that the Engagement Partner is required to fulfill; the Audit Firm also violated SQC 1 and SA 220 by naming two partners as Engagement Partners, thereby leading to loss of accountability;
- c. DHS did not display the required professional skepticism, and did not challenge the management on important issues;
- d. DHS failed to appropriately deal with identification, categorization and minimization of Engagement risk, especially looking at the size, nature and economic significance of the Auditee company. The risk of misstatement due to fraud was ruled out by DHS. This led to inadequate audit responses;
- e. DHS accepted the stand of the management about not disclosing the fact that the Net Owned Funds (NOF) and the Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) of IFIN as on 31st March, 2018 were both negative, and that this situation would lead to cancellation of the NBFC license of the company. DHS certified the accounts showing positive NOF and CRAR, accepting the explanations of the management which were clearly contrary to law.
- f. DHS did not adequately question the going concern assumption on the basis of which the management had prepared the financial statements.
- g. DHS did not question the management and challenge the inflation of profit by over Rs.180 crores through inclusion of the value of a derivative asset which was entirely unjustified.
- h. DHS did not communicate any matter arising out of the audit to those charged with governance of the IFIN, even though mandated by the SAs to do so.

- i. The Engagement Quality Control Review, as said to have been carried out, has been shown to have been a complete sham.
- 4.9 NFRA has concluded that the quality control system and processes of DHS are severely inadequate and ineffective, as has been brought out clearly by the details in the various sections of the AQR Report. DHS has been advised to take necessary action to revamp its quality control system and process, and rigorously ensure compliance with the said revamped system.
- 4.10 Separately, NFRA will examine whether disciplinary proceedings under Section 132(4) of the Companies Act, 2013 needs to be initiated. (Note: NFRA has already taken action in this regard during the Year 2020-21).

Guidelines on Procedure for Complaint Handling in NFRA

5.0 Introduction:

5.1 National Financial Reporting Authority (NFRA) has been constituted on 1.10.18 under Section 132 of the Companies Act, 2013 vide MCA Gazette Notification No. 5099(E) dated 1st October, 2018. Thereafter, MCA has notified National Financial Reporting Authority Rules, 2018, vide Gazette Notification No. G.S.R. 1111(E). dated 13.11.18.

5.2 NFRA'S ROLE IN NON-COMPLIANCE WITH THE COMPANIES ACT

5.2.1 Non-compliance with Accounting and Auditing Standards: Section 132(2)(b) of the Companies Act, 2013, lays down that NFRA shall monitor and enforce the compliance with Accounting Standards and Auditing Standards in such manner as may be prescribed. Accounting standards and Auditing Standards are laid down by the Central Government under sections 133 and 143(10) respectively of the Companies Act, 2013.

5.2.1.1 Accounting Standards:

- Rule 7 of NFRA Rules, 2018, covers, inter-alia, compliance with Accounting Standards. This states that the NFRA shall publish its findings relating to non-compliances on its website (Sub rule 3). Further, where the NFRA finds any Accounting Standard to have been violated, it may decide on further course of investigation or enforcement action through its concerned Division.
- Where such investigation discloses offences by Companies, NFRA may refer the matter to the Ministry of Corporate Affairs for further necessary action.

5.2.1.2 Auditing Standards:

- As far as compliance with Auditing Standards is concerned, the NFRA Rules, 2018, provide that where any law or professional or other standard has been violated by an Auditor, NFRA may decide on further course of investigation or enforcement through its concerned Division [Rule 8(8)].
- Where such violation of law or professional or other standards by an Auditor, does not fall within the powers of the NFRA as per Section 132(4), the matter will have to be referred to Ministry of Corporate Affairs (MoCA) for appropriate action.

5.2.2 Professional or other Misconduct by CAs/Firms:

5.2.2.1 NFRA's role under Section 132(4) relates to investigation in respect of professional or other misconduct committed by any member or firm of CAs. Imposition of penalty and prohibition from practice also is with reference to a firm or a CA.

Professional or other misconduct has the same meaning as under Section 22 of the CA Act, 1949.

5.2.2.2 The definition of professional or other misconduct under Section 22 of the CA Act, 1949, refers to the lists provided in the two Schedules to the Act, which are as follows:

First Schedule:

Part I: Professional misconduct in relation to CAs in practice: 12 entries

Part II: Professional misconduct in relation to Members in service: 2 entries.

Part III: Professional misconduct in relation to all Members: 3 entries

Part IV: Other misconduct (all members): 2 entries

Second Schedule:

Part I: Professional misconduct of CAs in practice: 10 entries


Part II: Professional misconduct (all CAs): 4 entries

Part III: Other misconduct (all CAs): 1 entry

- 5.2.3 A detailed analysis of all the entries in the two Schedules shows that almost all the entries relate to misconduct that does not include or relate to any criminal acts except:
 - (a) where the CA is held guilty by court for an offence punishable with imprisonment;
 - (b) defalcates or embezzles money received in his professional capacity (entry 4 of the Part II of the Second Schedule).
- 5.2.3 Conclusions and Guidance for NFRA:
- 5.2.3.1 A Combined reading of all the above provisions would lead to the following conclusions:
 - (a) NFRA's jurisdiction covers auditors of the said classes of Companies and Bodies Corporate, as are specified in Rule 3 of the NFRA Rules, 2018.
 - (b) NFRA's role regarding violations of Companies Act, 2013, (i.e. violation of Accounting and Auditing Standards) arises in relation to non-compliance with Accounting and Auditing Standards.
 - (c) In such cases, the matter would have to be either (i) taken up under Section 132(4) if professional misconduct by a firm or a CA is detected, or (ii) referred to Ministry of Corporate Affairs for further action.

- (d) Complaints against CAs of alleged crimes per se will not fall within the NFRA purview.
- (e) Professional misconduct as defined in Section 132(4) read with Section 22 of CAs Act relates largely to audit related matters such as negligence, suppression of information, nondisclosure etc. in connection with audit.
- (f) As far as evidence is concerned, violations of the Companies Act and/or professional misconduct will have to be proved only by documentary evidence. Where there is any complaint received from a non-MoCA source, the NFRA should proceed as follows:
- If the complaint is from a Government department, or Government agency, or any statutory body, the NFRA may examine the complaint and ask the complainant for such further information, clarifications, documentary evidence etc. as may be felt necessary. If after such examination, a prima facie case is made out, the NFRA may, if in its opinion it is so desirable, either
 - (a) initiate an investigation under Section 132(4); or
 - (b) send an appropriate report to the MoCA for necessary action.
- If the complaint is from any other source, the complaint can be examined only if all the documentary evidence necessary to establish a prima facie case is provided. In the absence of documentary evidence, the complaint must be filed as lacking any prima facie value for undertaking an investigation. Where documentary evidence is provided, the complainant must be required to swear on affidavit about the source of and method of procurement of such documents where he is not the custodian thereof, under the clear knowledge that any false statement under oath could lead to action for perjury. In the absence of such affidavit also, the complaint must be filed as lacking any prima facie value for undertaking an investigation.
- 5.3.0 In view of the analysis of the various provisions in Companies Act and NFRA Rules 2018, in para 2 above, the complaint handling procedure in NFRA has been decided and put up on NFRA website (nfra.gov.in). It includes the list of documents to be submitted to NFRA while making a complaint.

Flow chart of the complaint handling procedure in NFRA is as follows:



Training of NFRA Staff



Introduction/Orientation Training Program for CAs. (12-13 September 2019)



Chairperson NFRA imparting training to NFRA staff during the Orientation Program


- 6.1 Training was imparted to Chartered Accountants and other staff in NFRA by Chairperson, NFRA, Member NFRA and Dr. R. Narayanaswamy (Professor Indian Institute of Management, Bangalore) on 12 and 13 September and 10th October, 2019.
- 6.2 Audit Quality Review process has been carried out for the first time in India. In order to carry out the same, regular training and guidance was imparted by Chairperson NFRA and Member NFRA to the concerned staff in NFRA.
- 6.3 Interactive lectures / sessions were conducted and knowledge/experience shared among NFRA staff from time to time.

Meetings of the Authority

- 7.1 Meetings of National Financial Reporting Authority (NFRA) were held on 30.1.2020 and 25.3.2020 under the Chairmanship of Chairperson NFRA. NFRA gave recommendations to the Ministry of Corporate Affairs in terms of Section 132 (2) (a) of Companies Act 2013 regarding the following:
 - a) Recommendation on Companies (Auditor's Report) Order, 2019
 - b) Changes in SA 800, 805, 810 Auditing standards
 - c) Changes in Accounting Standards Ind AS 1, 8, 103, 107, 109 in view of changes in *International Financial Reporting Standards (IFRS)* Accounting Standards.
 - d) Mirroring of Companies (Accounting Standard) Rules, 2006 under Companies Act 2013



Meeting of the Authority held on 30.1.2020



Meeting of Authority held on 25.03.2020 via Video Conferencing in view of Covid 19

Details of Salient Activities Undertaken

- 8.1 The details of salient activities undertaken by Ministry of Corporate Affairs / National Financial Reporting Authority (NFRA) / during the period 1.04.19 till 31.3.20 are as follows:
 - (i) In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 132 of the Companies Act, 2013, the Central Government made the National Financial Reporting Authority (Recruitment, Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Secretary, Officers and Other Employees of Authority) Rules, 2019. The same were notified vide Ministry of Corporate Affairs gazette Notification No. G.S.R. 369 (E) dated 16th May, 2019.
 - (ii) In exercise of the powers conferred by sub-section (10) of section 132 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government made the National Financial Reporting Authority (Meeting for Transaction of Business) Rules, 2019. The same were notified vide Ministry of Corporate Affairs gazette Notification No. G.S.R. 377(E) dated 22nd May, 2019.
 - (iii) THE COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 2019 NO. 22 OF 2019 Act of Parliament received the assent of the President on the 31st July, 2019, and was published for general information vide MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department) Gazette Notification No. 41 dated 31st July, 2019. Section 132 of the Companies Act, 2013 was, inter-alia, amended vide the said Act.
 - (iv) In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (4) of section 132, sub-section (1) of section 139 and sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government made the rules, to amend the National Financial Reporting Authority Rules, 2018, namely the National Financial Reporting Authority (Amendment) Rules, 2019. The same were notified vide Ministry of Corporate Affairs gazette Notification No. G.S.R. 636(E) dated 5th September, 2019.
 - (v) NFRA website was designed and made live with address as nfra.gov.in.
 - (vi) Guidelines on procedure for complaint handling in NFRA were formulated and uploaded on NFRA website.
 - (vii) Scheme for Engaging Technical Reviewers (TRs) for Quality Reviews of Audit firms in NFRA was approved for NFRA by Ministry of Corporate Affairs on 24.5.19. Online applications were invited vide advertisement dated 7.2.2020 for empanelment of Technical Reviewers (TRs) with the NFRA.

- (viii) Audit Quality Review Report with regard to the Statutory Audit of IL&FS Financial Services for FY 17-18 conducted by Deloitte Haskins and Sells (DHS) was issued on 12.12.2020. Further, based on the same, Show Cause notices were issued to initiate disciplinary Proceedings against 3 Partners of DHS in January, 2020.
- (ix) In view of reference from Ministry of Corporate Affairs, recommendations of NFRA were sent to the Ministry with regard to the following:
 - a) Treatment of Deferred Tax Liability by Indian Railways Finance Corporation.
 - b) Issue of lease liability raised by M/s Spice Jet.
 - c) Accounting Advisory with regard to COVID 19.
- (x) Facility for e filing of NFRA 1 and NFRA 2 Form was developed and made online for respective entities to file the same.
- (xi) The matter in the Hon`ble Delhi High Court titled Northern India CA Federation v/s UOI & others W.P. (C) 10537/2018 was effectively defended by Ministry of Corporate Affairs and has been dismissed vide order dated 17.9.2019.
- (xii) Following Court cases filed during 19-20 are being effectively defended in the respective Courts by NFRA:
 - a) Writ Petition No. 1522/2020 in Hon`ble Delhi High Court filed by Rukshad Daruvala Vs Union of India relating to Section 132 of the Companies Act. The matter is being effectively pursued by NFRA.
 - b) Writ Petition No. 1524/2020 in Hon`ble Delhi High Court filed by Udayan Sen Vs Union of India relating to Section 132 of the Companies Act. The matter is being effectively pursued by NFRA.
 - c) Writ Petition No. 1525/2020 in Hon`ble Delhi High Court filed by Shrenik Baid Vs Union of India relating to Section 132 of the Companies Act. The matter is being effectively pursued by NFRA.
- (xiii) In light of the duties and functions of the Authority and entities under NFRA domain as per Rule 3 of NFRA Rules 2018, Audit files were requested and received from the Statutory Auditors of select entities for review. The same are in various stages of review.
- (xiv) NFRA Core application software is being developed with the help of National Informatics Centre for paperless working in NFRA.

(xv) Chairperson NFRA administered oath to NFRA staff during Vigilance Awareness week.



NFRA Budget Allocation and Expenditure for the Year 2019-2020

9.1 NFRA Budget allocation and Expenditure for the Year 2019-2020 was as follows:

(Rs. In thousands)

Head No.	NATIONAL FINANCIAL REPORTING AUTHORITY	Budget Estimate	Revised Estimate	Expenditure
34750010506	TOTAL	190300	241800	213175
347500105060001	SALARIES	15000	15000	3271
347500105060002	WAGES	100	1000	980
347500105060003	OVERTIME ALLOWANCE	100	19	0
347500105060006	MEDICAL TREATMENT	1900	500	61
347500105060011	DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	1000	500	548*
347500105060012	FOREIGN TRAVEL EXPENSES	500	1821	1849*
347500105060013	OFFICE EXPENSES	10000	11700	10882
347500105060014	RENTS, RATES AND TAXES	152300	190000	175323
347500105060016	PUBLICATIONS	400	10	0
347500105060020	OTHER ADMINISTRATIVE EXPENCES	1450	400	245
347500105060026	ADVERTISING AND PUBLICITY	400	150	344*
347500105060028	PROFESSIONAL SERVICES	6150	8000	7669
347500105069913	INFORMATION TECHNOLOGY OFFICE EXPENSES	1000	12700	12003

^{*}The amount in excess of Revised Estimate was re-appropriated.

9.2 Drawing and disbursement function of NFRA was carried out through Ministry of Corporate Affairs during this period. The audit of Ministry of Corporate Affairs has been conducted by office of the Comptroller and Auditor General of India.
